जिला आपदा प्रबंधन योजना, मधुबनी

खंड – 2

जिला प्रत्युत्तर योजना

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
मधुबनी, बिहार

जिला आपदा प्रबंधन योजना, मधुबनी

खंड – 2

जिला प्रत्युत्तर योजना

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
मधुबनी, बिहार

प्रकाशकः
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
मधुबनी, बिहार

जून, 2013

अधिक जानकारी के लिए कृप्या संपर्क करेंः

जिलाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
मधुबनी, बिहार
फोनः +91–06276–222217
फैक्स +91–06276–222209
ईमेलः dm-madhubani.bih@nic.in

यह योजना जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मधुबनी द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना, बिहार, स्फेयर इंडिया, बिहार राज्य इंटर एजेंसी ग्रुप, मधुबनी जिला इंटर एजेंसी ग्रुप, इफिकोर, टियरफंड और अन्य मूल एजेंसियों के सहयोग से 2012 में तैयार की गई।

Table of Contents

FOREWORD	*v*
PREFACE	*vi*
ACKNOWLEDGEMNTS	*ix*
इस योजना को कैसे प्रयोग करें	xii
ABBREVIATIONS	*xiii*
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मधुबनी	1
भाग – 1: जिला प्रत्युत्तर योजना	**2**
1. किसी भी आपदा में किये जाने वाले सामान्य कार्य	2
1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर किये जाने वाले कार्य	2
1.2 आपदा प्रत्युत्तर कार्य का सक्रियकरण	3
1.3 राहत एवं प्रत्युत्तर के कार्य:	4
1.3.1 खोज एवं बचाव:	
1.3.2 प्रारंभिक आकलन:	
1.3.3 राहत वितरण:	
1.3.4 अनुश्रवण:	
1.4 प्रत्युत्तर निष्क्रियकरण:	8
1.5 पूननिर्माण कार्य:	8
2. विशिष्ट आपदा की स्थिति में किये जाने वाले कार्य:	9
2.1 बाढ़ के प्रासंगिक कार्य:	9
2.2 भूकम्प के प्रासंगिक कार्य:	12
2.3 सूखे के प्रासंगिक कार्य:	15
2.4 अग्नि कांड के प्रासंगिक कार्य:	17
2.5 भीड़ प्रबंधन:	19
भाग–2: क्षेत्रीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र {इओसी} अथवा समन्वयन तंत्रा की स्थापना:	**22**
आपदा के परिस्थिति में इओसी की भूमिका:	22
आपातकालीन परिचालन केन्द्र {इओसी} की सामान्य समय में भूमिका:	22
क्षेत्रीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र {ओइओसी}:	23
अनुलग्नक:	24

Member
National Disaster Management Authority
Government of India

FOREWORD

The formulation of various National guidelines is an important part of the mandate given to the National Disaster Management Authority (NDMA). The National Disaster Management Act, 2005 also mandates authorities at different level to develop a comprehensive disaster management plan at each level.

NDMA's guiding principles for the preparation of the Plan at state and district level has been to draft the Plan in a participatory approach with the preparatory process essentially strengthening the communities, elected local bodies and administration's response and preparedness. NDMA envisages an ideal Disaster Management Plan that ensures local ownership, addresses local needs, and promotes volunteerism and mutual help to prevent and minimize damage.

Therefore, I appreciate the efforts of Bihar State Disaster Management Authority and Madhubani District Disaster Management Authority in partnership with Sphere India, EFICOR and Tearfund for executing our envisioning and guiding principles and developing this model District Disaster Management Plan (DDMP) for Madhubani. I would also like to appreciate the guidance of members of National, State and District Advisory in this endeavor.

I am extremely pleased with the deep involvement, support and cooperation of various stakeholders from community, line departments and other important groups in the preparation of the DDMP Madhubani. I am hopeful that the Madhubani District Disaster Management Plan and its process guidelines would inspire other Districts to follow the multistakeholder participatory approach.

New Delhi
June 2012

T. Nanda Kumar
Member, NDMA

बिहार सरकार

Vice Chairman
Bihar State Disaster Management Authority
Government of Bihar

PREFACE

National Disaster management Act, 2005 mandates for development of comprehensive and holistic District Disaster Management Plan (DDMP) to negate the impact of disasters on the communities, to facilitate timely and effective response to the disasters, and to facilitate holistic disaster management through integration of mitigation, preparedness and DRR measures into development.

India has different geographical characteristics and hazard scenarios in different regions which becomes more complex due to varied socio-economical settings. For each scenario, the Plan would be different to effectively deal with the complexities of the region. Therefore, Bihar State Disaster Management Authority always advocated that for different scenarios and contexts model DDMPs should be made which would serve as guidance for similarly vulnerable Districts.

BSDMA along with National Disaster Management Authority, Sphere India, Tear Fund, EFICOR and other like minded organizations came together to draft model DDMPs for varied hazard scenarios. As a first step, National Advisory Body was set to conceptualize our ideas and decide on Districts for piloting of model DDMPs.

The District of Madhubani was chosen for the first pilot to demonstrate a systematic, dynamic and practical DDMP due to its multi hazard profile of recurrence of floods, Drought, Earth Quake (Zone-V), Fire incidents, Heat waves, Cold waves and High Winds and the prevalence of socio-economic vulnerabilities. Once the district was finalized, a State level Advisory Body at Patna, Bihar and District Advisory Body at Madhubani, Bihar was set up to guide and take forward the process.

I am very pleased that the implementing partners Sphere India, EFICOR, Tearfund, Bihar Inter Agency Group and Inter Agency Group (IAG)-Madhubani have been very meticulous in their approach and have followed every step of the process guideline developed by the Advisory Bodies.

I am elated by this Madhubani District Disaster Management Plan as it has been developed in a consultative manner with constant inputs and feedbacks from all the stakeholders. This Plan has moved beyond the reactive relief based approach and has a concise plan of actions for 53 different stakeholders at District level for disaster risk reduction, emergency response and recovery. The Plan also lays out the coordination structures at varied levels along with defined level for response as per the impact of the incident.

I hope that this plan will be widely used by all the stakeholders in Madhubani encouraging us to make participatory multi-stakeholder plan for other districts of Bihar as well.

Patna | Anil Sinha
June 2012 | Vice-Chairman, BSDMA

ACKNOWLEDGEMNTS

At the outset, I must express my sincere thanks to all the Members of the National, State and District Advisory Bodies for their invaluable contribution and whole-hearted cooperation to guide the process of developing Model District Disaster Management Plan for Madhubani. But for conceptualization, active guidance as well as high standard of the technical inputs and feedbacks from them, it would have not been possible to bring out this much needed Plan for holistic management of disasters in Madhubani.

I would like to express my gratitude to Shri. T. Nanda Kumar, Honorable Member, NDMA for his guidance, critical review, inputs and motivating all those involved with the Plan. My gratitude and sincere thanks are also to Shri. Anil Sinha, Vice-Chairman, BSDMA for choosing Madhubani as the pilot for model DDMP and his constant guidance to the DDMA and the executing team.

I would like to appreciate the efforts of Sphere India, Tearfund, EFICOR, Inter agency Group Bihar and Inter Agency Group Madhubani for the execution of ideas and benchmarks set by the Advisory Bodies. I would like to place on record that I was extremely pleased by the sincerity of executing team for its effort to involve all the stakeholders and developing local capacities.

I would also like to thank the members of Inter Agency Group Madhubani for its enthusiasm in taking forward the development of Plan and establishing local coordination mechanisms. From District Disaster Management Authority, I would like to thank Mr. Ashok Kumar Gupta – ADM Revenue and In-Charge – Disaster Management, Mr. Raman Prasad Clerk Disaster Management and other staff of DDMA for all the effort and time that they have constantly extended for the development of this Plan.

Finally, I must place on record my gratitude and appreciation to all the individuals of various stakeholders group who have participated in various consultations and discussions and have given their inputs, comments and feedbacks as this Plan would not have haven possible without your ideas and knowledge and experience sharing. I anticipate that this Plan developed through you would be widely implemented by you all.

I sincerely hope that the DDMP for Madhubani would be widely implemented and constantly revised by all the stakeholders collaboratively and contribute in achieving a disaster resilient Madhubani.

Madhubani — Lokesh Kumar

June 2013 — District Magistrate cum Chairman-DDMA, Madhubani

योजना तैयार होने की तिथि	:	अप्रैल, 2013
अगली समीक्षा और अ़द्यःतन की जाने की तिथि	:	अप्रैल, 2014
डाटाबेस अ़द्यःतन करने का समय	:	प्रत्येक अप्रैल एवं अक्तूबर माह में (हर 6 माह पर)
पूर्वाभ्यास (मॉकड्रील) का समय	:	प्रत्येक साल के मई माह में (मानसून पूर्व)

इस योजना को कैसे प्रयोग करें

कार्य	संदर्भ	टिप्पणी
1. स्वंय को जाने	परिवार ग्राम पंचायत समिति लाइन डिपार्टमेंट अन्य हितधारक	
2. अपने खतरे को जाने {खतरा, संवेदनशीलता, क्षमता विश्लेषण}	खंड–1 भाग–1 संदर्भ विश्लेषण {एचभीसीए}	इसे पढ़े ताकि जिले के आपदा संदर्भ को समझ सके
3. अन्य हितधारियों को चिन्हित करे/जाने	खंड–1 भाग–1 {हितधारी विश्लेषण}	इसे पढ़े ताकि जिले के हितधारकों को समझ सके
4. अपनी विशिष्ट योजना के मुताबिक कार्य करें	डीडीएमए के कार्य खंड–1 और 2	जिला प्रत्युत्तर योजना {डीडीएमए–हरी किताब} खंड–1 भाग–2 जिला प्रत्युत्तर योजना {डीडीएमए–लाल किताब} खंड–2
	ग्राम पंचायत समिति, लाइन डिपार्टमेंट, अन्य हितधारी {सभी के लिए अलग–अलग पॉकेट बुक}	हरी किताब {सामान्य समय में हितधारियों के कार्य} लाल किताब {आपदा के समय में हितधारियों के कार्य}
5. योजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न संस्थानों एवं अच्छें व्यवहारों/उदाहरणों को जानें	खंड–1, भाग–3	इसे पढ़ें ताकि जिले की विभिन्न संस्थानों यथा ईएसएफ, आइआरएस, युआरएस, डीएमटी/क्युआरटी और अच्छे व्यवहारों/उदाहरणों को जान सकें
6. राज्यीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संबंध/संपर्क जाने	खंड–1, भाग–3	इसे पढ़े ताकि आपदा की गंभीरता के स्तरों के अनुरूप संपर्क कर सकें
7. Know legal & financial provisions for implementation of plan	खंड–1, भाग–3	इसे पढ़े ताकि योजना के कार्यान्वयन और इनके अनुवर्ती कार्यो समझ सके
8. जांच सूची,आकलन प्रपत्रा, संसाधानों के आकड़े/विवरण जानें	खंड–3 जॉच सूची, प्रपत्रा एवं संसाधन आंकड़ें	इसे देखें ताकि जिले की संसाधन उपलब्धता समझ सकें और विभिन्न प्रपत्रा, आंकड़े, जांचसूची कर सकें

मधुबनी आपदा प्रबंधन योजना को निम्नलिखित 4 मुख्य खंडों में बांटा गया है:

1. **खंड–1: आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन योजना:** इस खंड में (हरी किताब के रूप में भी उल्लिखित) में आपदा की स्थिति नहीं रहने के हालात में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की योजनाएं शामिल की गई हैं। इसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना; क्षमता सृजित करना; कार्यात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां; और आपातस्थिति की तैयारियां शामिल हैं। इसमें विभिन्न संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक तथा संकट शमन के उपाय एवं रणनीतियां भी शामिल हैं।

   इस खंड में मधुबनी से जुड़ी बातों को विस्तार से बताया गया है। इसमें मधुबनी की सामान्य स्थिति; आपदा संकट; संवेदनशीलता एवं क्षमता का विश्लेषण; समस्या का विश्लेषण; गांवों की संवेदनशीलता का सूक्ष्म विश्लेषण; मधुबनी आपदा प्रबंधन योजना विकास की रणनीति और हितधारी विश्लेषण बताया गया है। अगर आप जिले के लिए नये हैं और जिले की सामान्य स्थिति, इतिहास, और संदर्भ के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह विशेष खंड आपके लिए विशेष तौर पर उपयोगी है।

   इसमें जिला स्तर के विभिन्न संस्थाओं और आपदा प्रबंधन में उनकी भूमिका/उत्तरदायित्व के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। इसमें विभिन्न हितधारियों के बीच समन्वय एवं एकीकरण के लिए इएसएफ, आइआरएस, यूआरएस, डीएमटी और क्यूआरटी आदि जैसे बेहतर तरीकों की जानकारी उपलब्ध करायी गयी है। आपदा के स्तर और आने वाली जरूरतों के अनुरूप दूसरे जिलों, प्रमंडलों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संयोजन का विवरण इस खंड में दिया गया है। विभिन्न स्तरों पर योजना के कार्यान्वयन; उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही; वित्तीय प्रावधान; और अनुवतध कार्रवाइयों का विवरण भी इस खंड में है।

2. **खंड–2: जिला आपदा प्रत्युत्तर योजना:** इस खंड में (लाल किताब के रूप में भी उल्लिखित) किसी आपदा की स्थिति में जिला स्तर पर की जाने वाली कार्रवाइयां सन्निहित हैं। बचाव की मुख्य कार्रवाइयों को विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया है, जैसे पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां; बचाव कार्य शुरू करना; राहत एवं बचाव; बचाव कार्य बंद करना; और पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां। इसमें विशेष आपदाओं से उबरने के लिए विशिष्ट आपात कार्रवाइयां और फील्ड इओसी का गठन भी शामिल है।

3. **खंड–3: चेकलिस्ट, प्रारूप और संसाधनों का विवरण {डाटाबेस}:** इस खंड में जिले में उपलब्ध संसाधनों तथा संपर्क सूची, उपयोगी चेकलिस्ट, आकलन प्रारूप आदि को अलग से संकलित किया गया है। जब कभी जरूरत पड़े इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

4. **खंड–4: विभिन्न हितधारियों के लिए विशिष्ट कार्ययोजना:** इस खंड में उपरोक्त मुख्य खंडों के अलावा विभिन्न स्तरों के अलग–अलग हितधारियों के लिए तैयार विशिष्ट कार्ययोजना शामिल है। इसमें 27 लाइन डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत स्तर की 13 कमेटियों और जिला स्तर के अन्य गैर सरकारी हितधारियों के लिए विशिष्ट कार्ययोजना है। प्रत्येक हितधारी समूह के लिए इन कार्य–योजनाओं को दो अलग–अलग पुस्तिकाओं में संकलित किया गया है। ये पुस्तिकाएं हैं ;1) लाल किताब {रिड बुक}: आपात स्थिति में की जाने वाली कार्रवाइयों के लिए तथा; 2) हरी किताब {ग्रीन बुक}: आपात स्थिति नहीं रहने पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयों के लिए।

ABBREVIATIONS

BRGF	Backward Regions Grant Fund	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
BSNL	Bharat Sanchar Nigam Limited	भारत संचार निगम लिमिटेड
CBO	Community Based Organizations	सामुदायिक संगठन
CE	Chief Engineer	मुख्य अभियंता
CEO	Chief Executive Officer	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
CMO	Chief Medical Officer	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
CMRF	Chief Minister Relief Fund	मुख्य मंत्री राहत कोष
CSO	Civil Society Organization	नागर संस्था
DDMA	District Disaster Management Plan	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
DDMP	District Disaster Management Plan	जिला आपदा प्रबंधन योजना
DDRF	District Disaster Response Force	जिला आपदा प्रत्युत्तर बल
DM	District Magistrate	जिला समाहर्ता
DMT	Disaster Management Team	आपदा प्रबंधन दल
DRR	Disaster Risk Reduction	आपदा जोखिम न्यूनीकरण
EOC	Emergency Operation Center	आपातकालीन परिचालन केन्द्र
ESF	Essential Service Functions	आवश्यक सेवा कार्य
EWS	Early Warning System	पूर्व चेतावनी प्रणाली
FRT	First Response Team	प्रथम प्रत्युत्तर टीम
GIS	Geographic Information System	भौगोलिक सूचना प्रणाली
GP	Gram Panchayat	ग्राम पंचायत
GPS	Global Position System	स्थिति निर्धारण वैश्विक प्रणाली
HFA	Hyogo Framework for Action	ह्योगो कार्रवाई निर्णय
HRVCA	Hazard Risk Vulnerability Capacity Analysis	खतरा, जोखिम, सम्वेदनशीलता (भेद्यता) क्षमता विश्लेषण
HVCA	Hazard Vulnerability Capacity Analysis	खतरा, सम्वेदनशीलता (भेद्यता) क्षमता विश्लेषण
IAF	Indian Armed Force	भारतीय सशस्त्र बल
IAG	Inter-Agency Group	इन्टर एजेंसी ग्रुप
IAP	Immediate Action Plan	तात्कालिन कार्य योजना
ICDS	Integrated Child Development Services	समेकित बाल विकास सेवायें
IMT	Incident Management Teams	घटना (आपदा) प्रबंधन टीम
IRS	Incident Response System	घटना (आपदा)प्रत्युत्तर प्रणाली
IRT	Incident Response Team	घटना (आपदा)प्रत्युत्तर टीम

IYA	Indira Awas Yojna	इंदिरा आवास योजना
LSG	Lower Selection Grade	निम्न प्रवर कोटि
MGNREGS	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
MLA	Member of Legislative Assembly	विधान सभा सदस्य
MNREGA	Mahatma Gandhi National Rural and Education Guarantee Action	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
MP	Member of Parliament	संसद सदस्य
MPLADS	Member of Parliament Local Area Development Schemes	सांसद क्षेत्रीय विकास योजना
NABARD	National Bank for Agriculture and Rural Development	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
NCC	National Cadet Corps	राष्ट्रीय छात्र सेना
NDMA	National Disaster Management Plan	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
NDRF	National Disaster Response Force/ Relief Fund	राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर बल / राहत कोष
NGOs	Non- Government Organizations	गैर–सरकारी संगठन
NREGA	National Rural Employment Guarantee Act	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
NREGS	National Rural Employment Guarantee Scheme	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
NRHM	National Rural Health Mission	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
NSV	National Service Volunteer	राष्ट्रीय सेवा स्वंयसेवक
NYK	Nehru Yuva Kendra	नेहरू युवा केन्द्र
OEOC	Onsite Emergency Operational Center	क्षेत्रीय घटना स्थल आपातकालीन परिचालन केन्द्र
PDS	Public Distribution Shop	जनवितरण दूकानें
PHC	Primary Health Center	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
PHED	Public Health Engineering Department	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
PMRF	Prime Minister Relief Fund	प्रधानमंत्री राहत कोष
Q&A	Quality and Accountability	गुणवत्ता एवं जवाबदारी
QRT	Quick Response Team	त्वरित प्रत्युत्तर टीम
SDMA	State Disaster Management Plan	राज्य आपदा प्रबंधन योजना
SDRF	State Disaster Response Force/ Relief Fund	राज्य आपदा प्रत्युत्तर बल / राहत कोष
SHG	Self Help Group	लघु एवं मध्यम उद्योग / उपक्रम
SME	Small and Medium Enterprise	लघु एवं मध्यम उद्योग / उपक्रम
SOP	Standard Operating Procedure	मानक परिचालन पद्धति
SP	Superintendent of Police	पुलिस अधीक्षक

SSA	Sarva Shiksha Abhiyan	सर्व शिक्षा अभियान
UN	United Nations	सयुक्त राष्ट्र
URS	Unified Response Strategy	एकीकृत प्रत्युत्तर रणनीति
VKC	Village Knowledge Center	ग्राम ज्ञान केन्द्र
WASH	Water Sanitation and Hygiene	जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मधुबनी

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मधुबनी

किसी भी आपदा के प्रभावी प्रबंधन/प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर प्रर राष्ट्नीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण {डीडीएमए} मधुबनी का गठन हुआ। डीडीएमए मधुबनी की संरचना निम्नलिखित हैः–

कमांक	पदाधिकारी	डीडीएमए में पद
1.	जिला समाहर्ता	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष जिला परिषद्	सचिव
3.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी {सीविल सर्जन}	सदस्य
5.	उपविकास आयुक्त	सदस्य
6.	अतिरिक्त जिला मजिस्टेट {प्रभारी,आपदा प्रबंधन}	सदस्य
7.	कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–1 झंझारपुर	सदस्य

भाग–1: जिला प्रत्युत्तर योजना

मधुबनी डीडीएमए की प्रत्युत्तर योजना दो मुख्य भागों में विभक्त है, (1) सभी आपदाओं में सामान्य कार्य, (2) आपाद स्थिति में विशिष्ट कार्य। सभी आपदाओं में किये जाने वाले सामान्य कार्य विविध चरणों में विभक्त किये गयें है।

- किसी भी आपदा में किये जाने वाले सामान्य कार्य
  - पूर्व चेतावनी मिलने पर किये जाने वाले कार्य
  - प्रत्युत्तर सक्रियकरण के कार्य
  - राहत एवं प्रत्युत्तर के कार्य
    - खोज एवं बचाव
    - प्रारंभिक आकलन
    - राहत वितरण
    - अनुश्रवण
  - प्रत्युत्तर का निष्क्रियकरण
  - पुनर्निर्माण कार्य
- विशिष्ट आपदा की स्थिति में किये जाने वाले कार्य

1. किसी भी आपदा में किये जाने वाले सामान्य कार्य

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर किये जाने वाले कार्य

उद्देश्य: स्थिति का अनुश्रवण और पूर्व चेतावनी का प्रसारण

मुख्य कार्य:

- आपातकालीन परिचालन केन्द्र {ईओसी} से न्यूनतम दो बार प्रतिदिन आपदा के परिमाण, स्थान, गंभीरता आदि प्रासंगिक संकेतक की जानकारी लेना। जानकारी लेने की आवृति आपदा की गंभीरता के आधार पर बढ़ायी जा सकती है।
- पड़ोसी जिले/राज्य से इन जानकारियों का सत्यापन करना {विशेष कर बाढ़ की स्थिति में बढ़ते जल स्तर की जानकारी हेतु}

- सीमा पार जिलों {नेपाल के} सूचना तंत्रा को सक्रिय कर वास्तविक बारिश परिमाण, जल स्तर वृध्दि या बैरेज से बिमुक्त जल राशि के परिमाण की जानकारी लेना।
- आपातकालीन सेवा कार्य {इएसएफ} में लगी टीम के प्रतिनिधि, जिला आपदा पबंधन समिति, {डीडीएमसी}, आपातकालीन परिचालन केन्द्र {ईओसी} के अधिकारीयों की संयुक्त बैठक बुलाना और आपदा संबंधी अद्यतन आवश्यक तैयारियों पर चर्चा करना
- इन्सिडेन्ट कमांड टीम एवं संबंधित कर्यरत अधिकारीयों को मानक संचालन प्रक्रिया {एसओपी} के तहत तैयार रहने का निर्देश देना
- आपदा प्रबंधन टीम {डीएमटी} और प्रखंड स्तर के अधिकारीयों के माध्यम से संभावित आपदा क्षेत्राों में पूर्व चेतावनी/चेतावनी का प्रसार करना।
- खतरों की गंभीरता के अनुरूप विभिन्न एहतियाती जानकारी/उपाय का प्रसार विभिन्न स्तरों पर करना।
- खतरा विशिष्ट आपदा की समीक्षा करना और आपातकालीन परिचालन केन्द्र {ईओसी}, आपदा प्रबंधन टीम {डीएमटी}, प्रथम प्रत्युत्तर टीम {एफआरटी}, आपातकालीन सेवा कार्य {इएसएफ} आदि को सक्रिय करना
- भूकम्प जैसी आपदाओं में जहाँ पर्याप्त पूर्व चेतावनी उपलब्ध नही होती है, वहाँ तुरंत सक्रियकरण के कार्य प्रारंभ करना। ऐसी परिस्थिति में भूकम्प आपात कार्य निर्देशिका का पालन किया जा सकता है।
- सूखे की तरह धीरे–धीरे आने वाली आपदा की स्थिति में सूखा संबंधी संकेतकों के आधार पर नजर रखना।

1.2 आपदा प्रत्युत्तर कार्य का सक्रियकरण

उद्देश्य: एकीकृत आपातकालीन प्रत्युत्तर सक्रिय करना।

मुख्य कार्य:

- आपदा की जानकारी मिलते ही सूचना मिलते ही आपातकालीन परिचालन केन्द्र {ईओसी}, आपदा प्रबंधन टीम {डीएमटी}, प्रथम प्रत्युत्तर टीम {एफआरटी}, आपातकालीन सेवा कार्य {इएसएफ}, त्वरित प्रत्युत्तर टीम {क्युआरटी} को सक्रिय करना
- आपातकालीन परिचालन केन्द्र {ईओसी} को सूचना देने के लिए सभी संबंधित अधिकारी/सभी तरह की टीम के प्रतिनिधियों को निर्देश देना
- आपातकालीन परिचालन केन्द्र {ईओसी} और आपदा प्रबंधन टीम {डीएमटी} से घटना की प्रारंभिक जानकारी लेना
- सूचनाओं को डीडीएमसी तथा ईएसएफ टीम के प्रभारियों तक पहुँचाना ताकि वे अपने विशिष्ट कार्य प्रारंभ कर सकें

- डीडीएमए और ईओसी द्वारा संयुक्त रूप से सभी सूचनाओं का विश्लेषण कर आपदा की गंभीरता का आकलन करना कि यह ग्राम/प्रखंड अनुमंडल या जिला स्तर का है।
- आपदा की गंभीरता के अनरूप आपदाकालीन प्रत्युत्तर कार्य का सक्रियकरण
  - प्रखंड स्तर की आपदा की स्थिति में डीएमटी, क्युआरटी, एफआरटी और ईएसएफ के सहयोग से अंचलाधिकारी आपदा प्रत्युत्तर के लिए प्रभार लेते है और समन्वयन करते है।
  - डीडीएमए और इओसी के साथ अंचलाधिकारी नियमित रूप से संपर्क में रहेंगें।
  - जिला स्तर की आपदा की स्थिति में एडीएम स्तर के किसी अधिकारी को आपदा प्रत्युत्तर के समन्वयन की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह इओसी, डीएमटी, क्युआरटी, एफआरटी, इएसएफ आदि के समन्वयन में कार्य करेगा।
- इएसएफ टीम प्रतिनिधि, जिला इंटर एजेन्सी ग्रुप और प्रभावित क्षेत्रा के अधिकारियों के साथ संयुक्त समन्वयन बैठक बुलाना। प्रभावी क्षेत्राों में कार्यरत इंटर एजेन्सी ग्रुप के सदस्यों को अद्यतन/जमीनी स्थिति की जानकारी के लिए इस बैठक में आमंत्रित करना। यथासंभव, यह बैठक प्रभावी क्षेत्रा में करना।
- सभी तरह से संगलित सूचनाओं को संबंधित सभी हितधारीयों तक पहुॅंचाना। यथासंभव डीडीएमए की वेवसाईट पर इन जानकारीयों को अपलोड करना। इन सूचनाओं में इंटर एजेन्सी ग्रुप से प्राप्त जानकारीयों को शामिल करना।
- जिले के प्रशासनीक क्षेत्रा के किसी भी विभाग/संस्थान का आपदा प्रत्युत्तर कार्य को प्रभावी बनाने के लिए निर्देश देना।
- जिले में अवस्थित इएसएफ, जिला स्तर के सरकारी विभाग, संवैधानिक निकाय एवं अन्य सरकारी, गैर सरकारी संगठन आदि को प्रभावी आपदा प्रत्युत्तर कार्य के लिए सहायता, सलाह और समन्वयन करना।
- तृणमूल स्तर पर कार्य कर रही गैर सरकारी संस्था/समाज कल्याण करने वाले स्वैच्छिक संस्थाओं को आपदा प्रत्युत्तर कार्य में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना।

1.3 राहत एवं प्रत्युत्तर के कार्यः

राहत एवं प्रत्युत्तर के कार्य निम्नलिखित भागों में विभक्त है

- खोज एवं वचाव
- प्रारंभिक आकलन
- राहत वितरण
- अनुश्रवण

1.3.1 खोज एवं बचाव:

उद्देश्य:

- आपदा की स्थिति में तत्काल प्रभावी खोज, वचाव एवं निष्क्रमण कार्य द्वारा जीवन बचाना।

मुख्य कार्य:

- खोज एवं बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रा में अविलंब कार्य में लगा देना
- बूढ़े, विकलांग, महिलायें, गर्भवती महिलायें, एचआईभी/एड्स जैसी गंभीर बिमारी वाले कमजोर व नाजुक वर्ग पर खोज एवं बचाव दल द्वारा ध्यान केन्द्रित करना
- निष्क्रमण के लिए प्राथमिक आवश्यकताओं पर निर्णय लेना तथा उपलब्ध संसाधनों से तत्काल कार्य शुरू कर देना।
- आवश्यकता अनुसार सशस्त्रा सेना एवं/या तकनिकी संस्थानों से खोज एवं बचाव तथा निष्क्रमण कार्य संचालन के लिए मदद माँगना

1.3.2 प्रारंभिक आकलन:

उद्देश्य:

- प्रभावित लोगों के लिए तात्कालिक/अल्पकालिक/दीर्घकालिक प्रत्युत्तर कार्रवाई की जरूरतों का आकलन करना
- प्रभावित लोगों के घर, समुदाय/राज्य के बुनियादी ढ़ांचों में हुई क्षति की मरम्मती/पुनर्निर्माण हेतु क्षतिपूर्ति लागत आकलन करना।

मुख्य कार्य:

- क्षति एवं जरूरतों पर प्राप्त सूचनाओं का मिलान एवं विश्लेषण करना
- इंटर एजेन्सी ग्रुप से आग्रह करना कि वह ईओसी को अपनी जानकारीयाँ साझा करें।
- प्रभावित क्षेत्रों के नुकसान एवं आवश्यकताओं के बहुविषयक आकलन के लिए आवश्यकता अनुरूप योजना बनाना। विभिन्न इएसएफ प्रतिनिधि और इंटर एजेन्सी ग्रुप के सदस्यगणों को मिलाकर बहुसदस्यीय एवं बहुविषयक आकलन टीम बनाया जाना।
- आकलन से प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण एवं आपदा प्रत्युत्तर कार्य की प्राथमिकता तय करना।
- आकलन के लिए एक मानक प्रपत्रा एवं जॉच सूची का होना जिससे समाज के कमजोर वर्ग यथा बुढ़े, विकलांग, महिलायें, गर्भवती महिलायें, अल्पसंख्यक समूह के लोग, एचआईभी/एड्स जैसी गंभीर बिमारी वाले व्यक्तियों की सबसे आवश्यक जरूरतों पर जानकारी प्राप्त हो सके। {संलग्न नमूना आकलन प्रारूप देखा जा सकता है}
- आकलन प्रतिवेदन एवं अन्य प्रासंगिक जानकारीयाँ डीडीएमए की वेवसाईट पर नियमित रूप

से अपलोड किया जाय।

1.3.3 राहत वितरणः

उद्देश्यः

- विविध आवश्यक सेवा कार्य {इएसएफ} द्वारा समन्वयन कर आपदा प्रत्युत्तर कार्य में कमियों/रिक्ति एवं दोहरीकरण को कम करना।
- विविध इएसएफ के अतिरिक्त अन्य हितधारकों द्वारा किये जा रहे आपदा प्रत्युत्तर कार्य को एकीकृत करना जिससे यह प्रभावी एवं सक्षम हो सके।

मुख्य कार्यः

- तात्कालिक/अल्पकालिक/दीर्घकालिक जरूरतों की जानकारी के लिए आकलन प्रतिवेदनों का विश्लेषण करना।
- किये जा रहे सभी प्रयासों को ऐसे नियोजित करना कि अ0जाति/अ0जन0जाति/अल्पसंख्यक समूह आदि खोज एवं वचाव के प्रयासों से छूट न जाय।
- ईओसी द्वारा व्यापक प्रसारण के लिए प्रभावित क्षेत्रा के नक्शे, प्रभावित क्षेत्रा की आबादी की जरूरतें, वहाँ की भौगोलिक स्थिति तथा बहुविषयक आपदा प्रत्युत्तर की जानकारी डीडीएमए के वेवसाईट पर नियमित अपलोड करना
- अंचलाधिकारी को निर्देश देना कि राहत सामानों/ सुविधाओं की प्रकृति/स्वीकार्यता आदि के संबंध में कमजोर वर्ग समूह यथा अनु0जाति/अनु0जन0जाति तथा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों से परामर्श करें।
- प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के उपायों/हस्तक्षेप के लिए समयबध्द व्यापक योजना तैयार करना।
- वांछित आपदा प्रत्युत्तर योजना के कार्यानवन्यन के लिए आवश्यक मानवीय/वित्तीय/उपस्कर संबंधी संसाधनों की योजना बनाना।
- आपदा प्रत्युत्तर कार्य में अन्य हितधारियों के प्रयासों को शामिल/साझा करना। इओसी इन्हें सुझाव दे कि वे कहाँ और क्या राहत कार्य करें।
- न्यूनतम मानकों के कार्यान्वियन पर इएसएफ द्वारा ध्यान केन्द्रित करना ताकि राहत संहिता का सम्यक अनुपालन हो और लोगों की विभिन्न जरूरतें पूरी हों। इस संबंध में नियमित अद्यतन जानकारी प्राप्त की जाय।
- व्यापक साझी रणनीतियों और चिन्हित जरूरतों के लिए न्यूनतम मानकों के अनुरूप व्यापक कार्य योजना बनाना। इस हेतु विविध इएसएफ के व्यक्तियों को स्पष्ट भूमिका एवं जबावदेही देना और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना। सभी स्तरों पर योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन में इंटर एजेन्सी ग्रुप को शामिल करना।

- आपदा के प्रारंभिक चरण में इएसएफ, आइएजी एवं अन्य हितधारकों के कार्यक्रम/कार्ययोजना के दैनिक जानकारी लें।
- प्रभावित क्षेत्रा की बदलती परिस्थिति के अनुरूप आपदा प्रत्युत्तर कार्य में आवश्यक परिवर्तन लाना – इस हेतु इओसी, इएसएफ, आईएजी, डीएमटी तथा अन्य मुख्य एजेन्सियों से परामर्श करना तथा स्थानीय अधिकारियों/ अंचलाधिकारियों को निर्णय में शामिल करना।
- प्रभावित क्षेत्रा में हुए नुकसान के विवरणों का प्रखंड स्तरीय अधिकारीगण तथा इंटर एजेन्सी ग्रुप के सदस्यों की इएसएफ टीम द्वारा विश्लेषण कर क्षतिपूर्ति/पुनर्निर्माण के प्रयासों का आकलन करना।
- इसएसएफ द्वारा विकसित पुनर्निर्माण योजना का विश्लेषण कर पुर्ननिर्माण नीति पर निर्णय लेना।
- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को आपदा की स्थिति/ प्रत्युत्तर कार्य प्रगति आदि का अद्यतन विवरण देना।
- तात्कालिक प्राथमिकताओं/ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिले से बाहर की सहायता लेने के लिए निर्णय लेना। आवश्यकता अनुरूप राज्यीय/राष्टीय, अंतरराष्टीय एजेंसियों से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए संबंध बनाना।
- जिले के बाहर की एजेंसियों से प्राप्त होने वाली सहायताओं के लिए डीडीएमए द्वारा नोडल एजेंसी की भूमिका का निर्वहन करना। बाहर से आने वाली सहायताओं को प्रभावी क्षेत्रा की जरूरत के अनुसार विश्लेषण करना।

1.3.4 अनुश्रवण:

उद्देश्य:

- सुनिश्चित करना कि राहत प्रत्युत्तर कार्य ठीक ठाक सही दिशा में चल रहा है और समाज का दुर्बलतम समूह पर सहयोगी संस्थाओं की नजर केन्द्रित है।
- सरकार, इंटर एजेंसी ग्रुप तथा अन्य हितधारियों द्वारा किये जा रहे प्रयासों का मिलान तथा विश्लेषण कर, अभिलेखीकरण किया जाना ताकि भविष्य में उनसे सीखा जा सके।

मुख्य कार्य:

- संसाधन, कार्यक्रम का कार्यान्वयन तथा समय पालन को नियमित अनुश्रवित किया जाना।
- प्रभावित लोग, हितधारी समूह, प्रखंड अधिकारी, इएसएफ, डीएमटी आदि से परामर्श कर आपदा प्रत्युत्तर कार्य को बदलती आपदा परिस्थिति के मुताबिक समन्वयित करना।
- संयुक्त आकलन प्रपत्रा द्वारा प्रभावित समुदाय में किये गये कार्यो के दौरान प्राप्त अनुभवों को संग्रहित किया जाना।

- अनुश्रवण से प्राप्त प्रतिवेदन, अनुश्रवण के परिणाम, मुल्यांकन आदि के विषय में सभी जानकारियॅा सभी हितधारियों को उपलब्द करायी जाय और उसे डीडीएमए के वेवसाईट पर भी अपलोड किया जाय कि भावी आपदा के निबटांग में इनसे शिक्षा ली जा सके।

1.4 प्रत्युत्तर निष्क्रियकरण:

उद्देश्य:

- प्रत्युत्तर कार्य को निष्क्रियकरण करना तथा पुनर्निर्माण के कार्य की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार होना।

मुख्य कार्य:

- आकलन करना कि तत्काल जीवन बचाने के सभी उपाय अपनी जगह पर है और जीवन की क्षति का कोई जोखिम नही है। ऐसी स्थिति में आपदा प्रत्युत्तर कार्य को निष्क्रिय करना।
- सुनिश्चित करना कि आपदा प्रत्युत्तर कार्य को समाज में अपनाना शुरू कर दे और प्रर्याप्त अनुश्रवण पध्दति विकसित हो जाय।
- चिन्हित जरूरतों के मुताविक पुनर्निर्माण कार्य को प्रारंभ कर देना।

1.5 पूननिर्माण कार्य:

उद्देश्य:

- सुनिश्चित होना कि प्रभावित समुदाय आपदा के प्रभाव से उबरने लगा है और बाहरी आपातकालीन सहायता प्राप्त करने से बेहतर अपने मूल आवास/पुनर्निर्मित आश्रय स्थल की ओर जाना चाहता है।

मुख्य कार्य:

- सुनिश्चित करना कि प्रत्युत्तर कार्यक्रम के दौरान इएसएफ टीम ने क्षति का पूर्ण आकलन कर लिया है और पुर्ननिर्माण के प्रारंभिक कार्यक्रमों को शुरू कर सकता है।
- इएसएफ टीम द्वारा अनुसंसित बहुविषयक आंकलन का आधार पर पुर्ननिर्माण नीति का प्रारूप तैयार करना।
- सुनिश्चित करना कि क्षतिपूर्ति एवं राहत सहायता जाति, वंश, लिंग, सामाजिक/राजनीतिक/ धार्मिक आदि के भेदभाव बिना लोगों को उनके वाजिव हद के आधार पर पहॅुचे।
- सुनिश्चित करना कि सभी कार्यो में पारदर्शिता हो और लोगों को उनके अधिकार के विषय में पर्याप्त जानकारी है। पंचायत भवन प्रखंड कार्यालय एवं जिला कार्यालय में तदनुरूप प्रसार सामग्री उपलब्द हो।
- क्षतिग्रस्त बुनियादी ढ़ांचे/भवन/सेवाओं के पुनर्निर्माण के लिए उपयोगकर्ता के अनुकुल आपदा–सह्य डिजाईन के विकास के लिए तकनीकी विशेषज्ञों से परामर्श लेना।

- पुनर्निर्माण एवं पूर्नवास कार्य में लगी एजेंसियों/संस्थाओं को आपदा सहय डिजाईन के लिए सलाह देना।
- स्थानीय टान्सपोर्टर, विक्रेता, बाजार आदि स्थानीय क्षमताओं को इस प्रक्रिया में यथासंभव शामिल कर एक समन्वित कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन {एससीएम} स्थापित करना।
- पुनर्निर्माण एवं पुर्नवास कार्य के दौरान प्रभावित समुदाय के स्थानीय आजीविका विकल्पों को पुनर्जीवित/बहाल करने के लिए कदम उठाना।
- आपदा प्रत्युत्तर /पुनर्निर्माण कार्य से प्राप्त अनुभवों को जिला, राज्य एवं राष्टीय स्तर की विकास एजेंसियों से साझा करना ताकि वे उनकी भावी योजनाओं में जगह पा सके।
- नई विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण {डीआरआर} के तत्व शामिल कराना। डीआरआर का संदर्भ देखा जा सकता है।

2. विशिष्ट आपदा की स्थिति में किये जाने वाले कार्य:

2.1 बाढ़ के प्रासंगिक कार्य:

मधुबनी जिले की बाढ का इतिहास:

मधुबनी जिले में कुल 18 नदियॉ एवं उसकी उपशाखायें है। इन नदियों के बेसिन तथा जिले के निचले क्षेत्रा में प्रायः प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती रहती है। 1987 और 2002 ई0 में आयी बाढ़ों ने यहॉ बहुत बड़ी क्षति पहुॅचायी थी। {विस्तृत विवरण के लिए डीडीएमपी खंड–1 में संदर्भ विश्लेषण में सारणी संख्या–3.1 – बाढ़ इतिहास की सूची का अवलोकन करें}

सर्वाधिक गंभीर बाढ़ का अनुमान:

यदि मधुबनी जिले की सारी नदियों से एक ही समय उच्चत्तम बाढ़ आ जाय और बारिश जारी रहे तो जिले के 80 प्रतिशत भूभाग में बाढ़ फैल जायेगी तथा जान–माल सहित अन्य संपत्तियों का व्यापक नुकसान होगा। कृषि मारी जायेगी और अनेक बुनियादी ढ़ांचे क्षतिग्रस्त होंगे।

विशिष्ट कार्य:

बाढ़ प्रत्युत्तर के लिए विशिष्ट कार्य तथा जिम्मेदार लोग:

कमांक	मुख्य कार्य	जिम्मेदार
	अवधि : बाढ़ पूर्व तैयारी	
1.	डीडीएमए अधिकारी, इएसएफ, इओसी तथा अन्य संबंधित संस्थाओं की बैठक आयोजित कर विभाग वार तैयारियों का जायजा लेना।	अध्यक्ष, डीडीएमए
2.	इओसी एवं नियंत्राण कक्ष के कामकाज का जायजा लेना।	अध्यक्ष, डीडीएमए

कमांक	मुख्य कार्य	जिम्मेदार
	अवधि : बाढ़ पूर्व तैयारी	
3.	नदी और नहर के तटबंध, उनके कमजोर विन्दुओं की रखवाली तथा पिछले सालों के टुटान को बंद करना।	
4.	बर्षापात के हिसाब लेना और प्रतिवेदन भेजना।	जल संसाधन विभाग
5.	गेज–रीडिंग, नक्शा तथा चार्ट आदि तैयार कर प्रसार करना।	जल संसाधन विभाग
6.	बाढ़ क्षेत्र में अधिकारियों को प्रभार और जवाबदेही देना।	अध्यक्ष, डीडीएमए
7.	मौसम विज्ञान केन्द्रीय जल आयोग, बाढ़ पूर्वानुमान संगठन द्वारा जारी मौसम रिपोर्ट और बाढ़ बुलेटिनों का प्रसारण।	ठओसी
8.	संबेदनशील तटबंध क्षेत्रों में नावों की तैनाती।	अध्यक्ष, डीडीएमए
9.	मोटर वोर्ट की व्यवस्थायें।	अध्यक्ष, डीडीएमए
10.	बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में अस्थायी पुलिस वायरलेस स्टेशनों और अस्थायी टेलीफोन की स्थापना।	पुलिस डिपार्टमेंट, बीएसएनएल
11.	टेलीफोन/टेलीग्राफ लाईनों को चालू रखने की व्यवस्था	बीएसएनएल
12.	सुदूर क्षेत्र के कमजोर लोगों के लिए सुविधाजनक जगहों पर खाद्य का भंडारण।	खाद्य आपूर्ति विभाग
13.	सूखी खाद्य सामग्री, आवश्यक दवाओं और जीवन की अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था।	खाद्य आपूर्ति विभाग, राजस्व विभाग
14.	वैकल्पिक पेयजल आपूर्ति व्यवस्था।	पीएचइडी
15.	जल निकासी व्यवस्था से गाद निकाल कर व्यवस्था को चालू रखें।	जल संसाधन विभाग
16.	स्वास्थ्य/पशु चिकित्सा के लिए उचित उपाय एवं सेवाओं की व्यवस्था।	स्वास्थ्य/ पशुपालन/ मत्स्य विभाग
17.	आश्रय स्थल की पहचान/चयन	राजस्व विभाग, डीडीएमए
18.	सेना की सहायता पाने के लिए अग्रिम व्यवस्था	अध्यक्ष, डीडीएमए
19.	बाढ़ राहत कार्य मे विभाग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण	अध्यक्ष, डीडीएमए
	अवधि : बाढ़ प्रत्युत्तर कार्य	
20.	डीडीएमसी/ लाईन डिपार्टमेंट के प्रमुख सहित इएसएफ नोडल एजेंसी एवं डीडीएमए को आपदा संबंधी रिपोर्ट करना।	इओसी
21.	सेटेलाइट फोन, एचएफ/भीएचएफ सैट, हैम रेडियो, वीसैट आदि अन्य वैकल्पिक संचार उपकरणों को सक्रिय करना तथा संपर्क स्थापित करना	इओसी
22.	प्रभावित क्षेत्रा में मोबाईल आपातकालीन संचार इकाइयों की तैनाती	इओसी
23.	आइएमडी, आईएसआर, प्रखंड स्तर के अधिकारी, पुलिस, अग्निशमन अधिकारियों से संपर्क कर बाढ़ की प्रामाणिकता की पुष्टि करना।	इओसी

कमांक	मुख्य कार्य	जिम्मेदार
	अवधि : बाढ़ प्रत्युत्तर कार्य	
24.	प्रतिनियुक्ति अधिकारियों की बैठक आयोजित करना	अध्यक्ष, डीडीएमए
25.	खोज एवं बचाव दल को संगठित कर प्रभावित क्षेत्रा में भेजना।	अध्यक्ष, डीडीएमए
26.	आवश्यकतानुसार एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ/ सेना की सहायता मॉगना	अध्यक्ष, डीडीएमए
27.	गैर सरकारी और स्वंय सेवी संगठनों के पास उपलब्ध राहत सामग्रियों का सूचीकरण करना।	डीडीएमए एवं इओसी
28.	राहत शिविर/बाढ़ आश्रयों का निर्माण करना ।	राजस्व विभाग
29.	प्रभावित समुदाय के लिए सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना।	पीएचइडी
30.	न्यूनतम 3 दिनों के लिए सामुदायिक रसोई वितरण केन्द्र बनाना।	राजस्व विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग
31.	स्वच्छता और सफाई की सुविधा का प्रावधान करना।	स्वास्थ्य विभाग पीएचइडी, स्वैच्छिक संगठन, समुदाय आधारित समूह
32.	स्वास्थ्य सहायता और चिकित्सा सेवओं के प्रावधान करना।	स्वास्थ्य विभाग
33.	दूर्गम/चारों ओर बाढ से धिरें गॉवों में हेलीकाप्टर की सहायता से भोजन पैकेट उपलब्द कराना।	अध्यक्ष, डीडीएमए
34.	दूर्गम/चारों ओर बाढ से धिरें गॉवों में वैकल्पिक संचार संपर्क की व्यवस्था करना।	बीएसएनएल
35.	प्रभावित पशुधन के लिए शिविर/आश्रय/चारा एवं चिकित्सा सुविधायें के इंतजाम	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग
36.	प्रभावित लोगों के लिए आपातकालीन सहायता राशि की स्वीकृति/प्रदान करना	राजस्व विभाग
37.	अफवाह रोकने के लिए दैनिक रिपोर्ट को संचार माध्यमों एवं डीडीएमए के वेवसाईट द्वारा प्रसारण	इओसी
38.	गृह विहीन लोगों के लिए पुनर्वास	राजस्व विभाग
39.	कृषि गतिविधियों को पुनःचालु करने के लिए बालु हटाना/पुनःखेती करवाना	कृषि विभाग
40.	सड़क, तटबंध, आधारभूत संरचनाओं की मरम्मति एवं पुनर्निर्माण	आइओ, पीडब्युडी, आरसीडी आदि निर्माण विभाग
41.	प्रभावित क्षेत्रा स्थित इओसी से निरंतर संपर्क	इओसी
42.	राहत वितरण/पुनर्निर्माण के कार्य प्रारंभ करना {कृप्या कंडिका–1 किसी भी तरह की आपदा में सामान्य कार्य देखा जाय}	राजस्व विभाग

2.2 भूकम्प के प्रासंगिक कार्यः

मधुबनी जिले में भूकम्प का इतिहासः

मधुबनी का संपूर्ण जिला क्षेत्रा भूकम्प जोन–5 में है। उच्च तीव्रता वाले भूकम्प का यहाँ खतरा है। वर्ष 1934, 1988 और 2004 में यहाँ भूकम्प के गंभीर झटके हुये।

सर्वाधिक गंभीर भूकम्प का अनुमानः

6 रिक्टर स्केल से उपर के भूकम्प आने की स्थिति में संभावना है कि 50 प्रतिशत से अधिक घर नष्ट/ क्षतिग्रस्त हो जाय। ऐसी स्थिति में जिले की 60–70 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे।

विशिष्ट कार्यः

भूकम्प प्रत्युत्तर के लिए विशिष्ट कार्य तथा जिम्मेदार लोगः

कमांक	मुख्य कार्य	जिम्मेदार
	अवधि : अग्रिम प्रारंभिक कार्रवाई	
1.	भूकम्प सुरक्षा, सावधानियाँ एवं बचाव के तरीकों पर प्रशिक्षण	डीडीएमए
2.	मोबाइल संचार के वैकल्पिक साधन की स्थापना	बीएसएनएल
3.	अग्निशमन सेवाये तथा सहायी कर्मचारियों का परिचालन	अग्निशमन विभाग
4.	मलवे में फँसे हताहतों के बचाव की योजना	अग्निशमन/ सिविल डीफेंस विभाग
5.	अस्पताल, मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था	स्वास्थ्य विभाग
6.	तात्कालिक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एवं आपातकालीन अस्पताल के लिए स्वास्थ्य योजना	स्वास्थ्य विभाग
7.	मलवे की हटाने की योजना	अग्निशमन विभाग
8.	आपातकालीन स्वच्छता एवं वैकल्पिक जल आपूर्ति योजना	जल आपूर्ति विभाग
9.	फँसे लोगों के निष्क्रमण तथा गृह विहीन लोगों के लिए भोजन, वस्त्रा, आवास सहित कल्याणकारी सुविधायें यथा खेल, सूचना, जानकारी, मार्गदर्शन आदि की व्यवस्था करना	समाज कल्याण/ राजस्व/ खाद्य आपूर्ति विभाग
10.	मृतको के पहचान एवं शवों के अंतिम संस्कार योजना	पुलिस विभाग, सिविल डीफेंस
11.	परिवहन सुविधाओं का परिचालन	परिवहन विभाग
12.	वाहनों के अधिग्रहन एवं उसके परिचालन हेतु पेटोल, तेल, स्नेहक, स्पेयर पार्ट्स सहित मरम्मति योजना	परिवहन विभाग
13.	कला की वस्तुओं और सांस्कृतिक महत्व की चीजों सहित अन्य संपतियों के संरक्षण की योजना	भवन निर्माण विभाग
14.	अनिवार्य सेवायें यथा संचार सहित उधौग एवं महत्वपूर्ण कारखानों की सुरक्षा/मरम्मति/उध्दार के उपाय करना।	डीडीएमए
15.	भूकम्प सुरक्षा पर जागरूकता के लिए सूचनाओं का प्रचार–प्रसार करना।	डीडीएमए

क्रमांक	मुख्य कार्य	जिम्मेदार
	अवधि : 0 + 15 मिनट	
16.	डीडीएमए, लाइन डीपार्टमेंट के प्रमुख इएसएफ की नोडल एजेंसियॉ डीडीएमसी के अधिकारियों को सूचना देना/रिपोर्ट देना	इओसी प्रभारी
	अवधि : 0 + 30 मिनट	
17.	संचार के वैकल्पिक उपायों/उपकरणों यथा सेटेलाइट फोन, एचएफ/भीएचएफ, हैम रेडियों तथा भीसैट आदि को सक्रिय कर संचार संपर्क स्थापित करना	इओसी प्रभारी
18.	आपाकालीन संचार इकाई को प्रभावित क्षेत्रा में तैनाती कर संचार संपर्क जारी कायम करना।	बीएसएनएल
19.	डीएमटी, क्युआरटी, एफआरटी एवं इएसएफ आदि को सक्रिय करना।	डीडीएमए अध्यक्ष
20.	सभी संबंधित अधिकारी/सभी टीम प्रतिनिधि को इओसी को रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित करना	इओसी प्रभारी
21.	आइएमडी, आइएसआर, प्रखंड स्तरीय अधिकारी एवं अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से धटना की प्रामाणिकता की पुष्टि करना	इओसी प्रभारी
22.	डीडीएमए एवं इओसी के द्वारा धटना की गंभीरता का स्तर तय करना {यथा ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर अनुमंडल स्तर जिला स्तर आदि}	डीडीएमए अध्यक्ष
23.	इएसएफ टीम जिला इंटर एजेंसी ग्रुप एवं प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारियों की पहली समन्वयन बैठक बुलाना। प्रभावित क्षेत्रा में कार्यरत इंटर एजेंसी ग्रुप की सदस्य संस्थाओं को अनिवार्य रूप से बैठक में शामिल कराना ताकि जमीनी सच्चाई की अद्यतन जानकारी मिले। प्रभावित क्षेत्रा में यह बैठक आयोजित करना समीचीन होगा।	इओसी प्रभारी
	अवधि : 0 + 1 घंटा	
24.	प्रभावित क्षेत्रा में आपातकालीन परिचालन केन्द्र {इओसी} स्थापना करना।	इओसी
25.	आपदा की गंभीरता {स्तर} के अनुरूप आपदा प्रत्युत्तर कार्य सक्रिय करना। • प्रखंड स्तर के आपदा में डीएमटी, क्युआरटी, एफआरटी और इएसएफ के सहयोग से अंचलाधिकारी जिम्मेदारी लेंगे। • अंचलाधिकारी नियमित रूप से डीडीएमए और इओसी से संपर्क कर आपदा प्रत्युत्तर कार्य की अद्यतन जानकारी देंगे। • जिला स्तर के आपदा के मामले में डीएमटी, क्युआरटी, एफआरटी और इएसएफ के सहयोग से कोई वरिष्ट एडीएम जिम्मेदारी लेंगे	डीडीएमए अध्यक्ष
26.	तत्काल प्रभाव से प्रभावित क्षेत्रा में खोज एवं बचाव कार्य को सक्रिय करेंगे।	इओसी
27.	आवश्यकतानुरूप प्रभावित लोंगो की खाज, बचाव एवं निष्क्रमण के लिए सेना/अन्य तकनिकी संस्थानों से बाहरी सहयोग लेना।	डीडीएमए
28.	नुकसान एवं जरूरत संबंधी सूचनाओं का मिलान एवं विश्लेषण करना।	इओसी
29.	जिला इंटर एजेंसी ग्रुप को आकलन पत्रा साझा करने के लिए आग्रह करना।	इओसी

कमांक	मुख्य कार्य	जिम्मेदार
	अवधि : 0 + 1 घंटा	
30.	प्रभावित क्षेत्रों में वरिष्ट एडीएम के पदाधिकारी का प्रतिनियोजन	डीडीएमए
31.	आपदा प्रत्युत्तर टीम/संसाधन के त्वरित परिचालन के लिए सड़क/रेल रूटो की स्थिति का तत्काल आकलन/ अनुवर्ती कार्य	परिवहन विभाग ए इओसी
32.	अफवाह के नियंत्राण के लिए मीडिया के प्रबंधन और सार्वजनिक सूचना।	इओसीए सूचना एवं जनसंपर्क विभागा
33.	निजी/सार्वजनिक एजेंसियॉं तथा जिला इंटर एजेंसी ग्रुप से आपताकालीन खोज एवं बचाव कार्य में सहयोग के लिए अनुरोध।	डीडीएमए
34.	आवश्यकतानुरूप पड़ोसी जिले/राज्य से सहायता की अनुरोध ।	डीडीएमए
35.	प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल करना/सुरक्षा प्रदान करना।	पुलिस विभाग
36.	प्रभावित क्षेत्रों मे चिकित्सा प्रत्युत्तर टीम को भेजना। टीम में धाव के लिए प्राथमिक सहायता कर्मचारी एवं हडडी रोग विशेषज्ञ हो।	स्वास्थ्य विभाग
37.	एसएआर टीम एवं प्रसांगिक उपकरणों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजना	इओसी, डीडीएमए
38.	प्रभावित क्षेत्रों के इओसी से निरंतर संपर्क रखना	इओसी
39.	सभी अस्पतालों को घायलों की चिकित्या के लिए तैयार रहने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश देना ।	डीडीएमए, इओसी
	अवधि : 0 + 12 घंटा	
40.	प्रभावित क्षेत्रों में उपकरण, मशीनें एवं स्वंय सेवको के पहुॅचने के लिए सभी रास्ते खोल देना और टेफिक प्रबंधन करना।	परिवहन विभाग
41.	रेलवे स्टेशन बस स्टेण्ड आदि आवागम केन्द्रों पर सूचना केन्द्र स्थापित करना।	डीडीएमए
42.	राहत सामग्री यथा तम्बू, खाद्य सामग्री पानी, कम्बल आवश्यक दवाईया जुटाना/भेजना।	राजस्व विभाग
43.	बचायें गये व्यक्यिों को अस्थाई आश्रयों में भेजना एवं उनके लिए भोजन, पानी, स्वच्छता सुविधा,अन्य सामग्रीयों की व्यवस्था।	राजस्व विभाग
44.	प्रभावित क्षेत्रों में अस्थाई अस्पताल खोलना ।	स्वास्थ्य विभाग
45.	घायल व्यक्यिों को अस्पताल भेजना।	स्वास्थ्य विभाग
	अवधि : 0 + 24 घंटा	
46.	प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का प्रतिवेदन तैयार करना, त्वरित उन्हें सभी हितधारियों तक पहुॅचाना एवं बीडीएमए की वेवसाइट पर अपलोड करना।	इओसी
47.	प्रतिदिन न्यूनतम 2 वार स्थिति और प्रत्युत्तर कार्य की जानकारी का प्रेस नोट जारी करना ।	इओसी

कमांक	मुख्य कार्य	जिम्मेदार
	अवधि : 0 + 24 घंटा	
48.	गैर प्रभावित क्षेत्रा के अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रा में सहयोग के लिए प्रतिनियुक्त करना।	डीडीएमए
49.	इओसी, मुख्यालय, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन सहित मुख्य विभागों, पुलिस कार्यलय, अस्पताल आदि की बिद्युत, जल आपूर्ति, दूर संचार सुविधायें आदि अनिवार्य सुविधाओं को प्राथमिकता देकर बहाल करना।	पीएचइडी/बीएसएनएल/विद्युत विभाग
	अवधि : 0 + 48 घंटा	
50.	प्रभावित क्षेत्रों में हुई बहुविषयक क्षति एवं जरूरतों के आकलन की योजना बनाना। आकलन टीम में विविध इएसएफ टीम के लोग, इंटर एजेन्सी ग्रुप के सदस्य शामिल करना।	इओसी
51.	आकलन प्रतिवेदन एवं अन्य प्रांसगिक सूचनाओं को डीडीएमए की वेवसाइट पर डालना।	इओसी
52.	शवों के अंतिम संस्कार के लिए एनडीएमए की मार्ग निर्देशिका के अनुसार मृतको की पहचान/ फोटोग्राफ/ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के रखरखाव की व्यवस्था करना।	पुलिस/स्वास्थ्य विभाग
53.	राहत केन्द्र के समीप समुदाय, रिश्तेदार, स्वैच्छिक संगठन आदि के लिए सूचना केन्द्र खोलना।	इओसीए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
54.	किसी लापता व्यक्ति/ क्षति के संबंध में जानकारी संग्रहन की व्यवस्था करना और प्रतिकिया में अस्पताल, आश्रय स्थल एवं पुलिस अभिलेखों से खोज प्रारंभ कर देना ।	इओसी
	अवधि : 0 + 72 घंटा	
55.	अज्ञात और लावारिस शवों के निस्तारण की व्यवस्था करना।	पुलिस/स्वास्थ्य विभाग
56.	आवश्यकतानुरूप स्थानीय अस्पताल के घायलों को जिला अस्पताल/अन्य विशेष अस्पतालों तक पहुॅंचाने की व्यवस्था करना।	परिवहन/स्वास्थ्य विभाग
57.	राहत वितरण एवं पुनर्निर्माण के कार्य शुरू कर देना। {देखेः– किसी भी तरह की आपदा में सामान्य कार्य}	राजस्व विभाग

2.3 सूखे के प्रासंगिक कार्यः

मधुबनी में सूखे का इतिहासः

मधुबनी के उन क्षेत्राों में जहॉं नदियॉं नही है, अक्सर सूखे एवं पानी की कमी की समस्या होती है। 1966–68 के दौरान यहॉं लम्बे समय तक सूखे की स्थिति रही थी। अनेक लोग इस सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुये थे।

सर्वाधिक गंभीर सूखे का अनुमानः

यदि यहॉं मानसून की वर्षा न हो और नदियॉं सूख जाय तो भयंकर सूखा पड़ेगा। कृषि बुरी तरह प्रभावित होगी व पलायन बढ़ेगा। महिलायें, बच्चें, वृध्द सहित पशुधन को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा।

विशिष्ट कार्यः

कृषि के लिए प्रासंगिक योजनाः

- फसल बचाने की उपाय
- वैकल्पिक फसल पध्दति
- फसल प्रतिपूरक कार्यक्रम
- लागत आपूर्ति
- सिंचाई सुविधायें
- बिजली आपूर्ति

पेयजलः

- केन्द्रीय भूजल वोर्ड {सीजीडब्युबी} के तकनीकी सहायता से ग्रामीण क्षेत्र में जल आपूर्ति की प्रासंगिक योजना बनाना।
- शहरी. क्षेत्रा में वोरवेल/टेंकर/विशेष रेलगाड़ी या अन्य उपयुक्त उपायों से पेयजल व्यवस्था योजना।
- सूखा प्रभावित ग्रामीण/शहरी क्षेत्राों में पेयजल उपलब्दता की नियमित समीक्षा

जल संसाधनः

- प्रत्येक सिंचाई जलाशय के उपलब्ध पानी से पेयजल की आवश्यकता के अतिरिक्त खरीफ और रबी में सिंचाई आवश्यकता/वास्वीकरण नुकसान आदि को केन्द्रित कर पानी का बजट बनाना।
- नलकूप को चालु रखने की मरम्मति/नये नलकूप लगाना/पानी की बर्वादी रोकना।
- ज्यादा मात्राा में पानी खर्च करने वाले उधौगों को विनियमित करना।
- स्वास्थ्य विभाग की मंजूरी के साथ रासायनिक तत्वों की सहायता से वाष्पीकरण को कम करना।

रोजगार श्रृजनः

- रोजगार श्रृजन के लिए प्रर्याप्त राहत कार्य चलाना।
- रोजगार श्रृजन योजना यथा मनरेगा योजना के कोष को प्रभावी क्षेत्रा में जोरदार तरीके से चलाना।
- रोजगार श्रृजन की अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रस्तुत रहना।
- अन्य सूखा रोधण योजनाओं को चिन्हित कर उच्च प्राथमिकता देना।

सामुदायिक स्वास्थ्यः

- जल जनित रोगों के प्रसार के रोकथाम के लिए पेयजल श्रोतों को किटाणुरहित करने के कार्य करना।
- संभावित महामारी से निपटने के लिए योजना बनाना।
- टीकाकरण तथा अन्य नियमित सामुदायिक स्वास्थ्य के कार्यो की नियमित निगरानी करना।

महिलाएं, बच्चे एवं बृध्दः

- शिशु, गर्भवती महिलायें तथा दूध पिलाती माताओं की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना।
- बृध्दो की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना

पशुचाराः

- जिले के पशुधनों के लिए पशुचारे के परिमाण का आकलन करना/ उनके समुचित भंडारण की व्यवस्था करना/प्रभावित क्षेत्राों तक पहुॅचाने की व्यवस्था करना।
- मूल्य बृध्दि पर नियंत्रण के लिए बाजार के चारा बिक्रय केन्द्रों की निगरानी करना।
- चारें की अधिक उपलब्धता वाले जिले/राज्य से चारा प्राप्त करने की व्यवस्था करना।
- राज्य वन विभाग से परामर्श कर वन क्षेत्रा से चारे की कटाई के लिए छूट देना।
- अनुकूल स्थान में चारें की खेती को प्रोत्साहित करना।
- पशुआहार निर्माण सयंत्राों को दूर की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- राष्टीय डेयरी विकास वोर्ड {एनडीडीबी} एवं अन्य श्रोतो से यूरिया–गुड़ मिश्रित चारा ईट आवश्यकतानुार प्राप्त करना।

2.4 अग्नि कांड के प्रासंगिक कार्यः

मधुबनी में अग्निकांड का इतिहासः

गर्मी/जाड़ा के महीनों में ग्रामीण क्षेत्राों में यहॉ भयंकर अग्निकांड होते रहते है। देखा गया है कि गर्मी के महीनों में आमतौर रसोईघर के चुल्हे से एवं जाड़े के महीनों में घूर से आग लगा कर अग्निकांड हुआ करता है।

सर्वाधिक गंभीर अग्निकांड का अनुमानः

यदि किसी अग्निशमन स्टेशन के क्षेत्राधिकार में 4–5 से ज्यादा जगहों पर एक ही वक्त में अग्निकांड हो जाय तो अग्निशमन विभाग पर अत्यधिक दबाव पड़ जायेगा। गर्मी के समय में इसकी बहुत ज्यादा आशंका होती है। ऐसा होने पर प्रभावित स्थल में कालांतर में सूखे की स्थिति हो जाती है।

विशिष्ट कार्यः

अग्निकांड रोकथाम शिक्षण एवं जागरूकताः

- लक्षित समुदाय के लिए अग्निकांड के रोकथाम के लिए जागरूकता एवं शिक्षण कार्यक्रमों/शिक्षण सामग्रियों का विकास करना।
- जागरूकता एवं शिक्षण कार्यक्रमों/शिक्षण सामग्रियों को मैथिली भाषा में चित्राों द्वारा विकसित करना।
- तकनीकी विशेषज्ञ एवं शिक्षण वैज्ञानिको की सहायता से स्थानीय विद्यालय के बच्चों के लिए अग्नि/पारिस्थितिकी प्रबंधन की पठनीय सामग्री विकसित करना।
- प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय/गैर सरकारी संस्थान आदि को स्थानीय परिस्थिति में अग्नि प्रबंधन कार्यक्रम तैयार करने को प्रोत्साहित करना।
- मानवीय भूल से हुए अग्निकांड की आवृत्ति/कारण स्थान आदि के ऑकड़े का अभिलेखीकरण करना और अग्निकांड से बचाव के कार्यक्रम बनाना।

अग्निकांड की रोकथाम के लिए पूर्व तैयारीः

- पूर्व तैयारी में अग्निशमन कर्मचारी तथा जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देना।
- अग्निकांड की व्यापक रोकथाम योजना बनाना।
- गर्मी/जाड़े के मौसम से पहले अग्निकांड के प्रबंधन एवं उसके लिए संसाधन आवंटन तथा अन्य आवश्यक उपाय करना।
- महत्वपूर्ण भवन/कार्यालय सिनेमा घर होटल आदि में अग्निशामक यंत्रा पर्याप्त संख्या में लगाना।
- अग्निशामक वाहन के आवागमन के लिए गॉव की गलियों को विकसित करना।
- ग्राम स्तर पर गॉव के तालाब/कुँओं का जीर्णोध्दार/चापाकल मरम्मति की योजना बनाना।

अग्निकांड प्रत्युत्तरः

- अग्निकांड की सूचना मिलते ही अग्निशमण स्टेशन को सक्रिय करना।
- अग्निकांड की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस को प्रभावित क्षेत्रा में भीड़/ प्रबंधन के लिए तैनात किया जाय।
- स्थानीय आबादी को अपने–अपने घर के चुल्हें की आग को तत्काल बुझाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- रासायनिक आग के मामले में खोज और बचाव दल के साथ उस आग को बुझाने के संसाधन मुहैया करना।

2.5 भीड़ प्रबंधनः

पृष्ठभूमिः

भारी भीड़ से अक्सर दुर्घटना हो जाया करती हैं। ऐसी दुर्घटनओं को रोकने के लिए प्रभावी योजना तंत्रा की आवश्यकता है। भीड़ नियंत्राण की योजना किसी भी भावी दंगा को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।

मधुबनी जिले में अनेक जगहों पर, विशेषकर दशहरा, दुर्गा पूजा, छठ एवं अन्य ऐसे उत्सवों पर भीड़ हो जाया करती है। इनमें से कुछ निम्नलिखित स्थान है।

1. उच्चैठ–यह बेनीपटटी प्रखंड में है। दुर्गा पूजा मेला में यहॉ बड़ी भारी भीड़ होती है।
2. कपिलेश्वर स्थान–यह जिला मुख्यालय से 9 किमी दूरी पर है। कपिलेश्वर स्थान शिव मंदिर के लिए यह गॉव सुविख्यात है। प्रत्येक सोमवार को विशेषकर सावन के महीने में असंख्य भक्तों की यहॉ भीड़ लगती है। महाशिवरात्राी के अवसर पर यहॉ बड़ा मेला लगता है।
3. सौराठ–यह मधुबनी–जयनगर सड़क के किनारे स्थित है। इस गॉव में सोमनाथ महादेव मंदिर है। मैथिल ब्राह्मणों की विवाह– वार्ता के लिए यह स्थल सभागाछी के नाम से प्रख्यात है। इस गॉव में विभिन्न मैथिल ब्राह्मण परिवार की अभिलेख रखने वाले पंजिकार निवास करते है। सभागाछी के वार्षिक अवसर पर बाहर के पंजिकार भी यहॉ आते है।
4. भवानीपुर–पंडौल प्रखंड मुख्यालय से 5 किमी दूर यह गॉव अवस्थित है। उग्रनाथ मंदिर के लिए प्रख्यात इस गॉव में विभिन्न उत्सवों पर भारी भीड़ इकट्‌ठा होती है।

ऐसे अवसरो पर भीड़ में भाग लेने वाले लोगों की संख्या का अनुमान करना और उनके उचित व्यवस्थापन का इंतजाम करना आदि कार्य स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लिए आवश्यक है। मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या, उनके ठहराव स्थल की उपलब्धता, मेले में प्रवेश एवं निकासी के रास्ते, आपातकाल निकासी द्वार, मेले की व्यवस्था के सम्बन्ध में बताने वाले स्वंय सेवकों की व्यवस्था, अग्निशमन व्यवस्था, प्राथमिक उपचार व्यवस्था आदि पर स्थानीय पुलिस, प्रशासन एवं आयोजको को पूर्ण विचार एवं आकलन कर लेना चाहियें।

प्रबंधन में किसी कमी के कारण दुर्धटना की संभावना हो सकती है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आयोजकों ने सभी सुरक्षा मानकों को पूरा कर लिया है अन्यथा आयोजन को रद्‌द कर दे।

पूजा पंडाल और मेलों में भीड़ के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित मार्ग दर्शिका देखी जा सकती है।

⏭ मेला स्थान एवं पंडाल निर्माण की जगहः

- पंद्रह फीट से कम चौड़ाई वाली सड़क में न्यूनतक 4 फीट चौड़ी जगह खाली रखी जाय। 15–30 फीट चौड़ी सड़क के लिए यह दूरी न्यूनतम 6 फीट हो। 30 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़क में न्यूनतम 10 फीट चौड़ी सड़क खाली रखी जाय।

- किसी भी पक्की इमारत, बाउंड्रीवाल या अन्य स्थायी संरचना के चारो ओर न्यूनतम 4 फीट जगह खाली रखी जाय।
- कोई भी बड़ी संरचना 40 फीट से ज्यादा उॅची न हो
- अग्निकांड या अन्य आपातकाल के लिए अलग से अतिरिक्त प्रवेश एवं निकासी द्वार बनाये जाय।
- न्यूनतम 12–14 फीट चौड़ा द्वार हो। प्रवेश द्वार ऐसी जगह हो कि बिना किसी बाधा के अग्निशमन वाहन आसानी से प्रवेश कर सके।
- अस्पताल अथवा नर्सिंग होम से 100 मीटर दूर ही प्रवेश पंडाल बनाया जाय।
- पंडाल तुफान सहने की क्षमता वाला बने।
- पंडाल में उचित रौशनी की व्यवस्था हो।
- पंडाल में बिना वाधा वाला पर्याप्त निकासी द्वार हो।
- पंडाल के समीप सार्वजनिक उद्धोषणा केन्द्र हो।
- प्रवेश, निकास एवं परिसंचरण पर नजर रखने के लिए सुविधाजनक स्थान में सीसीटीभी लगाना।
- रौशनी के लिए वैकल्पिक इंतजाम सुरक्षित रखना।
- अतिरिक्त आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था हो।
- महत्वपूर्ण सड़को से 50 मीटर दूरी के भीतर बैनर/होर्डिंग लगाने से रोकना कि ड्राइवरो की एकाग्रचित्ता न टूटे और परिवहन वाधित न हो ।
- पर्याप्त पुलिस/गुह रक्षक एवं अन्य सुरक्षा बलों को घटना स्थल पर प्रतिनियुक्त करना।
- पंडाल बनाने वाले या मेला लगाने वाले आयोजकों के पास आपदा प्रबंधन की योजना होनी चाहिये।

⏭ अग्नि सुरक्षाः

- मुख्य पंडाल से 200 गज की दूरी के भीतर रसोइधर न हो और ना कोई खुली आग जलने दी जाय।
- पर्याप्त मात्राा मे पानी, बालु भरी बाल्टियॉ एवं अग्निशामक यंत्रा की व्यवस्था रहे।
- रौशनी के लिए लाईसेंसशुदा ठीकेदारों से ही काम लिया जाय।
- पुराना या नंगा तार व्यवहार में न लाया जाय। पंडाल के कपड़ों से तार का स्पर्श न हो।
- आयोजक अनिवार्य रूप से अग्निशमन विभाग/पुलिस से अनापत्ति प्रमाण पत्रा {सुरक्षा प्रमाण पत्रा} लें।

- किसी भी तरह की सिन्थेटिक सामग्री/रस्सी का उपयोग न हो।
- वहाँ किसी तरह की कोई संरचना न बनायी जाय जहाँ जमीन के अन्दर से बिजली लाइन गयी है।
- पंडाल के अन्दर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक रसायन न रखा जाय।

दर्शको के लिए अनिवार्य व्यवस्थाः

- पंडाल के अन्दर लोगों के घुमने–फिरने के लिए 75 प्रतिशत जगह खाली रखी जाय।
- पंडाल पर्याप्त रूप से हवादार हो।
- पंडाल क्षेत्रा के समीप पर्याप्त पेयजल व्यवस्था हो।
- स्त्री एवं पुरूषों के लिए अलग–अलग शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था हो।
- आयोजक को चाहिये कि पर्याप्त संख्या में स्वंय सेवकों को रखें। इन्हें भीड़ नियंत्राण का प्रशिक्षण हो।
- पंडाल व्यवस्था में प्रवेश, निकासी, आपातकालीन निकासी द्वारों सहित अग्निशमन यंत्रा/वाटर हाईड्रेन्ट, प्राथमिक चिकित्सा किट {स्वास्थ्य सेवा इकाई} आदि महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए पर्याप्त मात्रा में साइन बोर्ड हो।
- पंडाल के प्रवेश द्वार पर दर्शकों की सुविधा के लिए नक्शा/पंडाल के डिजाईन/पूजन स्थल आदि के विषय में जानकारी हो।
- किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए डॉक्टर सहित स्वास्थ्य सेवा इकाई आवश्यक दवाओं के साथ रहे।
- हर हाल में दर्शकों को आवश्यक जानकारी देते रहने के लिए सूचना केन्द्र अवश्य हो।

ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं ध्वनिः

- ध्वनि को 65 डेसीबल से नीचे सीमित किया जाय। पटाखे की आवाज की तीव्रता विस्फोट स्थल से 5 मीटर की दूरी के बाद 90 डेसीबल से नीचे हो।
- ध्वनि विस्तारक यंत्रा {साउण्उ बॉक्स सहित} की अवधि 7 बजे शुबह से 11 बजे तक और अपराहन 6 बजे से रात्री के 10 बजे तक सीमित किया जाय।

भसान {विसर्जन} की मार्गनिर्देशिकाः

- मुर्ति के भसान के समय के दौरान वाहन पर रखी मूर्ति की उँचाई 17 फीट से ज्यादा न हो।
- भसान के समय कोई पटाखे न छोड़े जाय।
- भसान जुलूस में वाहनों की अनुमति सीमित की जाय।
- जगह की कमी के मद्देय नजर प्रत्येक पूजा कमिटी/पंडाल आयोजकों में से कुछ ही लोगों को नदी तक जाने दिया जाय।

भाग–2: क्षेत्रीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र {इओसी} अथवा समन्वयन तंत्र की स्थापना:

जिले में जिला मुख्यालय में राजस्व नियंत्राण कक्ष के साथ– साथ एक विशेष आपातकालीन परिचालन केन्द्र {इओसी} की स्थापना की जाएगी। यह केन्द्र 7 बजे शुबह से 7 बजे शाम तक 12 घंटे कार्यरत रहेगा। 7 बजे शाम से 7 बजे सुबह तक यह केन्द्र एक डयुटी ऑफिसर एवं उनके सहयोगी कर्मचारियों के अधीन कार्य करेगा। {इओसी} में पर्याप्त मानव एवं भौतिक संसाधन उपलब्ध होंगे। इओसी को प्राप्त इन संसाधनों का आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त किसी भी कार्य में उपयोग नही किया जायेगा।

आपातकालीन परिस्थिति में इओसी भवन में आवश्यक सहायता कार्य {इएसएफ} टीम के लोगों के बैठने का इंतजाम होगा। केवल नोडल इएसएफ के लोग इओसी में बैठेगें और सहयोगी एजेंसियों के साथ जिले में चल रहे आपदा प्रबंधन कार्यो का समन्वयन करेंगें। इओसी में कारगर संचार सुविधायें चालु रहेंगे।

आपदा के परिस्थिति में इओसी की भूमिका:

मौसम की भविष्यवाणी करने वाली एजेंसियों से प्राप्त सूचना के आधार पर सरकार के विभाग सहित आम जनता के लिए चेतावनी जारी कर दी जाय। इओसी का प्राथमिक कर्तव्य समय पर सही चेतावनी जारी कर देना है। चेतावनी प्रभावी रूप से जारी करने के लिए इओसी के पास सुनियोजित संचार व्यवस्था अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहना चाहिये। जिला पदाधिकारी चेतावनी जारी करने के लिए सक्षम पदाधिकरी है। निम्नलिखित संस्थाओं को भी चेतावनी मिलें–

- आवश्यक सहायता कार्य {इएसएफ} की सभी टीमों को
- जिला आपदा प्रबंधन समिति {डीडीएमसी} के सभी सदस्यों को
- जिला पदाधिकारी के कार्यालय को
- राज्य राहत आयुक्त को
- पड़ोसी जिलों के आपातकालीन परिचालन केन्द्र {इओसी} को
- राज्य/राष्ट्र आपातकालीन परिचालन केन्द्र {इओसी} को
- जिला के जनप्रतिनिधियों को

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र {इओसी} अपने भवन में आवश्यक सहायता कार्य इएसएफ से सहयोग लेने एवं समन्वयन हेतु आवश्यक स्थान अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये। साथ ही साथ घटना स्थल पर क्षेत्रीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र {इओसी} की भी स्थापना करें। क्षेत्रीय, राज्य एवं जिला के आपातकालीन परिचालन केन्द्र {इओसी} निरंतर संपर्क मे रहकर आपदा की परिस्थिति नवीनतम जानकारी लेते रहे।

आपातकालीन परिचालन केन्द्र {इओसी} की सामान्य समय में भूमिकाः

जिला पदाधिकारी को शक्ति प्राप्त है कि आपातकालीन परिचालन केन्द्र {इओसी} में एक प्रशासनिक अधिकारी को प्रतिनियुक्ति कर सके। यह पदाधिकारी आपातकालीन परिचालन केन्द्र {इओसी} के प्रभावी कार्य के लिए जबावदेह होगा। सामान्य समय में इनके निम्न कार्य होंगे–

- सुनिश्चित करना कि आपातकालीन परिचालन केन्द्र {इओसी} के सभी यंत्रा चालू अवस्था मे हैं।
- आपदा प्रबंधन हेतु लाइन डिपार्टमेंट से नियमित ऑकड़ा संग्रहन करना।
- जिले में आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा शमन की गतिविधियों पर प्रतिवेदन तैयार करना।
- जिला आपदा प्रबंधन योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- नियमित रूप से डाटा बैंक को अद्यतन करते हुये अभिलिखित करना तथा किसी घटना/चेतावनी मिलने पर कार्य प्रारंभ तंत्रा {ट्रिगर मेकेनिज्म} को सक्रिय करना।

क्षेत्रीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र {ओइओसी}:

क्षेत्रीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र {ओइओसी} आपदा स्थल के समीप स्थापित किया जायेगा जो जिला इओसी के साथ जुड़कर काम करेगा। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी इस स्तर पर क्षेत्रीय कमांडर इन चीफ होंगे। जिला इन्सिडेंट कमांडर {जिला पदाधिकारी} के निर्देशानुसार क्षेत्रीय कमांडर अपने स्थानीय प्रबंधन टीम के सहयोग से समन्वयन के सभी कार्य करेंगें। क्षेत्रीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र {ओइओसी} किसी आपदा के समय ही सक्रिय रहेगा। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी आपदा स्थल पर सभी गतिविधियां निष्पादित करने के लिए जिम्मेवार होगा, लेकिन कार्य नोडल डेस्क अधिकारियों के माध्यम से जिला इओसी से नियंत्रित और समन्वित किये जायेंगे।

अनुलग्नक:

- त्वरित आकलन प्रपत्र
- विस्तृत क्षति आकलन प्रपत्र

** उपरोक्त प्रपत्रा खंड–3 {जॉच सूची, प्रपत्रा एवं संसाधन ऑकड़ें} में उपलब्ध है।

टिप्पणी:

टिप्पणी:

टिप्पणी:

टिप्पणी:

टिप्पणी:

टिप्पणी:

जिलाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
मधुबनी, बिहार

फोनः +91-06276-222217
फैक्सः +91-06276-222209
ईमेलः dm-madhubani.bih@nic.in